न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
तत्कालीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट नीकच)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

	<u>तारीख रजू</u>	तारीख निर्णय
[illegible] /16	03.11.2016	25.05.2018

उनवान

1. हीरालाल पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटा कलां तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 242 / 609 रकबा 0.07 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 124 मिन रकबा 6 बिस्वा से बना है तथा साबिक खसरा नम्बर 124 मिन रकबा 7 बिस्वा से एक अन्य हाल खसरा नम्बर 242 रकबा 0.09 हैक्ट0 कायम हुए जो वाके ग्राम कोटा कलां तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। उक्त आराजी वादी द्वारा जर्ये बयनामा खरीद की हुई आराजी है वक्त खरीद के समय साबिक खसरा नम्बर 124 मिन रकबा 6 बिस्वा तरफ उत्तर को खरीद किया था और वक्त खरीद से ही वादी मौके पर तरफ उत्तर में काबिज रहकर काश्तकारी करता चला आ रहा है। परन्तु सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा मौका कब्जा विधि विरूद्ध वादी के कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नम्बर 242/609 रकबा 0.07 हैक्ट0 सम्बन्धी नक्शा ट्रेस ताहाल कायम शुदा जमाबन्दी कागजातमाल आदि में वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 242 /609 के स्थान पर खसरा नम्बर 442 रकबा 0.09 हैक्ट0 का इन्द्राज कर दिया जबकि खसरा नम्बर 442 वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 242/609 के तरफ दक्षिण में है। आराजी से सम्बन्धित नक्शा ट्रेस हाल जमाबन्दी कागजातमाल आदि में गलत इन्द्राज से वादी के हक हकूको पर विपरीत असर पडता है। उक्त विवादित आराजी का सम्वत 2058 में जो नक्शा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बनाया गया वो मौके व कब्जे के विपरीत बनाया गया है। जो नक्शा राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहबन से गलत बनाया गया है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

अतः श्रीमान से निवेदन है कि दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री [illegible] माई जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 242 / 609 रकबा 0.07 हैक्ट0 हाल [illegible] नम्बर 242 रकबा 0.09 हैक्ट0 वाके ग्राम कोटा कलां तहसील रामगढ जिला अलवर में [illegible] है की हल्का पटवारी से मौके व कब्जे की सही रिपोर्ट मंगवागर पटवारी रिपोर्ट के अनुसार [illegible] पर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 442 के स्थान पर वादी का खसरा नम्बर 242 / [illegible] तरफ उत्तर को राजस्व नक्शे में दुरूस्त किया जावे व वादी के खसरा नम्बर 242 / 609 [illegible] स्थान पर तरफ दक्षिण में खसरा नम्बर 442 हाल नक्शे में दर्ज किया जावे। इसी प्रकार [illegible] सम्वत 2058 को दुरूस्त किये जाने का अहकाम जारी कर राजस्व अभिलेख को समस्त [illegible] में दुरूस्त फरमाया जावें।

[illegible] वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। [illegible] (पैरोकार सरकार) ने न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका [illegible] इस प्रकार है कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 124 मिन साबिक रकबा 6 बिस्वा जर्ये [illegible] विक्रय पत्र तरफ उत्तर में क्रय किया था लेकिन बन्दोबस्त सम्वत 2058 उक्त खसरा [illegible] से नवीन खसरा नम्बर 224 / 609 बनाया है जो तरफ दक्षिण में कायम किया है जो [illegible] है। उक्त खसरा नम्बर 124 मिन रकबा 7 बिस्वा से बना ख0 नं0 242 तरफ उत्तर में [illegible] कर दिया है जो गलत है। बयनामा में उल्लेखानुसार खसरा नम्बर 124 मिन रकबा 6 [illegible] जो वादी की आराजी है का नवीन खसरा नम्बर 242 रकबा 0.09 के बजाय 0.07 दुरूस्त [illegible] खसरा नम्बर 124 मिन के शेष रकबा से नवीन ख0 नं0 242 / 609 रकबा 0.07 के [illegible] दुरूस्त किया जाना उचित होगा। लेकिन दुरूस्ती आदेश से पूर्व ख0 नं0 242 के [illegible] खातेदार का पक्ष सुनना आवश्यक है। ख0 नं0 242 रकबा 9 बिस्वा का वर्तमान खातेदार [illegible] पुत्र सुनेर खां जाति मेव सा0 देह दर्ज है।

[illegible] राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर नीकच में दिनांक [illegible] को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तथा भू0 [illegible] से मौका जांच रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार है कि वाके ग्राम कोटा कलां में ख0 [illegible] जमाबन्दी अनुसार सम्वत 2069–72 के ख0 नं0 242 / 609 रकबा 0.07 हैक्ट0 [illegible] पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर के नाम दर्ज है व ख0 नं0 242 रकबा 0.09 इमरत खां पुत्र [illegible] सम्वत 2058 के सैटलमेन्ट पूर्व दोनों नम्बर खसरा एक ही था। वक्त सैटलमेन्ट

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट नीकच)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

[illegible]	<u>तारीख रजू</u>	तारीख निर्णय
197 / 16	03.11.2016	25.05.2018

उनवान

1. हीरालाल पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटा कलां तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम कोटा कलां तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 242 रकबा 0.07 हैक्ट0 पर हीरालाल पुत्र हरसहाय गुर्जर काबिज काश्त है व ख0 नं0 242 /609 रकबा 0.09 पर इमरत खां पुत्र सुमेर खां मेव काबिज काश्त है। जमाबन्दी रेकार्ड बदस्तूर रहेगा नक्शों में नम्बर कब्जे के आधार से परिवर्तन (दुरुस्त) करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

एक दूसरे को विपरीत दर्ज कर दिया। वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 242 रकबा 0.07 हैक्ट0 पर हीरेलाल पुत्र हरसहाय गुर्जर काबिज काश्त है व ख0 नं0 242 /609 रकबा 0.09 पर इमरत खां पुत्र सुमेर खां मेव काबिज काश्त है। जमाबन्दी रेकार्ड बदस्तूर रहेगा नक्शों में नम्बर कब्जे के आधार से परिवर्तन (दुरूस्त) किया जाना उचित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तथा पैरोकार सरकार के जवाब एवं भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट का अध्ययन किया। जिससे प्रतीत होता है कि ख0 नं0 242 रकबा 0.09 इमरत खां पुत्र सुमेर खां मेव सम्वत 2058 के सैटलमेन्ट पूर्व दोनों नम्बर खसरा एक ही था। वक्त सैटलमेन्ट एक दूसरे को विपरीत दर्ज कर दिया। वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 242 रकबा 0.07 हैक्ट0 पर हीरेलाल पुत्र हरसहाय गुर्जर काबिज काश्त है व ख0 नं0 242 /609 रकबा 0.09 पर इमरत खां पुत्र सुमेर खां मेव काबिज काश्त है। जमाबन्दी रेकार्ड बदस्तूर रहेगा नक्शों में नम्बर कब्जे के आधार से परिवर्तन (दुरूस्त) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम कोटा कलां तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 242 रकबा 0.07 हैक्ट0 पर हीरेलाल पुत्र हरसहाय गुर्जर काबिज काश्त है व ख0 नं0 242 /609 रकबा 0.09 पर इमरत खां पुत्र सुमेर खां मेव काबिज काश्त है। जमाबन्दी रेकार्ड बदस्तूर रहेगा नक्शों में नम्बर कब्जे के आधार से परिवर्तन (दुरूस्त) करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट नीकच में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़